







दिनभर चली जांच में पाई गई कमियां

तीन पीलिंग लेंथ मशीन संचालकों को किया नोटिस जारी डीएफओ के द्वारा लाइसेंस कैंसिल करने के दिए निर्देश

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर/कोतमा।

नगर परिषद बरगवां अमलाई एवं कोतमा क्षेत्र में संचालित पीलिंग लेंथ मशीनों के लाइसेंस सहित स्टॉक पंजी एवं अन्य दस्तावेजों की जांच के लिए वन मंडलाधिकारी विपिन कुमार पटेल के द्वारा प्रशिक्षु एसडीओ आई एफ एस अधिकारी परिवेश परवले के नेतृत्व में वन अमले के साथ पहुंचकर जांच की गई। जांच सुबह 11 बजे से 6 बजे शाम तक छ: घंटे चली जिसमें नगर परिषद बरगवां अमलाई के वाई क्रमांक 3 स्थिति अनिल कुमार अखवाल उर्फ टीटू एवं कोतमा स्थित आकाश साहू निवासी पेड़ा गौरेला तथा मो. शाहिद रजा पिता मो. जाबिर रजा पता छोटपाड़ा रायपुर, जिला रायपुर पीलिंग लेंथ मशीन विनियम मशीन लगावे की अनुमति के संबंध के साथ ही दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान काफी अनियमितता एवं कमियां पाई गईं। जिसके बाद तीनों पीलिंग लेंथ मशीन संचालकों को नोटिस जारी करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया। विस्वरूप सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोतमा स्थित पीलिंग लेंथ मशीन में जांच के दौरान पाया गया कि रायपुर बिलासपुर औपीएम की टीपी पर वह माल वहां न भेजकर शिवाय बुड पीलिंग लेंथ मशीन में रखा गया था एवं संशोधन भी शिवाय बुड पीलिंग लेंथ मशीन स्थल के स्टॉक रजिस्टर में करना पाया गया। साथ ही और भी कई अनियमितता पाई गईं। साथ ही नोटिस के माध्यम से बताया गया कि पूर्व वन मंडलाधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध तीनों पीलिंग लेंथ मशीन का लाइसेंस जारी किया गया था जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। अनुज्ञापित तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रदाय की गई थी। म.प्र. राजपत्र असाधारण 14 जनवरी 2022 का अनुसूचक काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र जो धरेलू मूल की लकड़ी के गोले लड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं या जो 30 सेमी. व्यास से अधिक से बंध सों या री-सों या चक्राकार आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिये प्रतिशुद्ध क्षेत्रों में अनुज्ञापित आपेक्षित नहीं होंगे, परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र जो (एक) चौराई हट्टी इंगमरती



लकड़ी, बेंत, बांस नरकट प्लाईवुड, विनोय या आयाति लकड़ी। (दो)- ब्लैक बोर्ड, मिडियम डेनसिटी फाईबर-बोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद। तीन राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट गेणों के माध्यम से लट्टों की चिराई करना मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम 1984 की धारा 2 (ए) एवं 2 (ज) में दी गई परिभाषाओं के अनुसार कर्मश आरामिल एवं विनियर उद्योग का निर्माण किरान के रूप में परिभाषित है। इस प्रकार संबन्धित पर से एक नई आरामशीन को चलाने की स्वीकृति प्रदाय की गई, जो कि अद्वैधिक है एवं मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 के प्रावधानों के विपरित है। टी.एन. गोदावर्नम चिरुमलपाद ब्रामन भारत संघ एवं अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 05 अक्टूबर 2015 में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुपालन में पर्यवरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 नवम्बर 2016 को संकल्प के द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा निर्देश 2016 जारी किये गए तथा दिनांक 11 सितम्बर 2017 को इन दिशा निर्देशों में संशोधन भी जारी किये गए। भारत

सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2 (आई) (1) विनियर मिल या प्लाईवुड मिल की परिभाषा दी गई है। दिशा निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2 (आई) (के) तथा संशोधित दिशा निर्देश 11 सितम्बर 2017 में निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2 (आई) (एच) में काष्ठ आधारित उद्योग को परिभाषित किया गया है। इन परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है, जो काष्ठ को कच्चे माल के रूप में संसाधित करता है आरामिल विनियर प्लाईवुड इत्यादि। इससे यह स्पष्ट है कि तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर द्वारा एक काष्ठ आधारित उद्योग को संचालित किये जाने की अनुज्ञापित एन.ओ.सी. प्रदाय की गई। दिशा निर्देश 11 सितम्बर 2017 के बिन्दु 4 (पी) के प्राधान अनुसार नये काष्ठ आधारित उद्योगों के लिये नई अनुज्ञापित दिये जाने का अधिकार सिर्फ राज्य स्तरीय समिति एस.एल.सी. को ही है। तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर द्वारा बिना एस.एल.सी. को प्रस्ताव भेजे अथवा एस.एल.सी. से बिना अनुमोदन कराये नई काष्ठ आधारित उद्योग विनियर निर्माण की अनुज्ञापित एन.ओ.सी. प्रदाय कर भारत सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना और विनियमन दिशा निर्देश 2016 यथासंशोधित सितम्बर 2017 के पैरा 4 (पी) का उल्लंघन किया गया है। विनियर मशीन लगाये जाने हेतु प्रदाय की गई अज्ञापित अनुज्ञापित, म.प्र. काष्ठ चिरान विनियमन संशोधन नियम 1984 का उल्लंघन होने तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना और विनियमन दिशा निर्देश 2016 एवं उसका संशोधन 11 सितम्बर 2017 के दिये गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण प्रदाय किया गया अज्ञापित प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

इतनाकार परिवार को ठेकेदार के इशारे पर पुलिस की प्रताड़ना महिला ने लगाई न्याय की गुहार, पुलिस संरक्षण में फुनगा क्षेत्र में फलता-फूलता शराब कारोबार

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।



मध्य प्रदेश शासन के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास संचालित किए गए हैं स जिले में दिव्यांग छात्रावास का संचालन पिछले सत्र तक किया गया परंतु वर्तमान शिक्षा सत्र के लगभग डेढ़ महीने बीत जाने के पश्चात भी दिव्यांग छात्रावास का संचालन ना किया जाना जिला प्रशासन की उदासीनता एवं डीपीसी जिला शिक्षा केंद्र अनूपपुर की संवेदनशीलता प्रदर्शित करती हैस छात्रावास का संचालन नहीं होने से दिव्यांग छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक दोनों चिंतित हैं परंतु जिला प्रशासन एवं विभाग के अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। जिले की वर्तमान स्थिति में अलग-अलग दिव्यांगता के बच्चों की संख्या सैकड़ों में हैस जिसमें शासन प्रशासन द्वारा महज 50 बच्चों हेतु दिव्यांग छात्रावास का संचालन किया जा रहा है एवं शेष प्रभावित दिव्यांग बच्चे उपेक्षित हैं। इसके साथ ही इन बच्चों की शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एक मोबाइल स्रोत सलाहकार की नियुक्ति की गई है जिनका कार्य प्रत्येक दिव्यांग बच्चों का सर्वे कर उन्हें शाला में दर्ज करवाना एवं उन्हें विद्यालय में या होम विजिट के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण, थैरेपी एवं सुविधाएं प्रदान करना है परंतु इसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। मोबाइल स्रोत सलाहकारों द्वारा यह कार्य भी नहीं किया जा रहा हैस गत वर्ष राज्य शासन के आदेशानुसार प्रार्थमिकता के आधार पर जिला शिक्षा केंद्र द्वारा दिव्यांग छात्रावास संचालन हेतु अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन प्रस्ताव मांगे गए जिसका विज्ञापन ऐसे अखबारों में दिया गया जिसे सीधी जिले की सुंदरवती शिक्षा एवं सेवा समिति एवं इसी संस्था की परिचित संस्थाओं ने देखा और आवेदन किया एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा आनन फानन में बीच सत्र में पदस्थ अधीक्षक को हटाकर दिव्यांग छात्रावास के

संचालन का कार्य सुंदरवती शिक्षा एवं सेवा समिति अमिलई जिला सीधी को दे दिया गया स जबकि जिले एवं संभाग में भी इस विषय पर कार्य करने वाली अनुभवी संस्थाएं हैं जो वर्षों से कार्यरत हैं इस संपूर्ण कार्यवाही पर भी विभाग एवं प्रभारी द्वारा षड्यंत्र कर चयनित संस्था को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई लगता है उपरोक्त संबंध में पदस्थ अधीक्षक श्रीमती नंदिनी पटेल द्वारा बीच सत्र में उन्हें न हटाने एवं संचालन में खर्च राशि का भुगतान करने हेतु विभाग एवं जिला प्रशासन को कई बार पत्राचार किया गया परंतु कार्यवाही न होने पर उन्हें हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा स उन्होंने सुंदरवती शिक्षा एवं सेवा समिति अमिलई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्हें विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जाना दिव्यांग छात्रावास के हित में नहीं है। इस संबंध में दिव्यांग कल्याण अभिभावक संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उपरोक्त आरोपों की जांच एवं समस्याओं का समाधान कर जल्द छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जाए ताकि पालकों की चिंता कम हो सके एवं कक्षा आठवीं के पश्चात दिव्यांग बच्चों की आगे की पढ़ाई हेतु भी व्यवस्था की जाए स साथ ही दिव्यांग छात्रावास के संचालन का कार्य स्थानीय जिले एवं संभाग की संस्थाओं को दिया जाए जो क्षेत्र में पूर्व से सेवाभाव से कार्यरत हैं।

70 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने लिया पुण्य लाम श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर शिवमवतों का सैलाब

नर्मदा स्नान, कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक से गुंजा अमरकंटक



हरिभूमि न्यूज अमरकंटक

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद, पूरी तरह सतर्क नजर आया प्रशासन

जालेश्वर धाम में छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंडा-मरवाही जिले से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। नर्मदा उद्गम स्थल व नगर क्षेत्र में अनुूपपुर जिले की पुलिस तैनात रही। अमरकंटक थाने के नगर निरीक्षक लाल बहादुर तिवारी, उप निरीक्षक पीएस बघेल, एएसआई ईश्वर यादव सहित पुलिस बल और राजस्व विभाग के आरआई व स्थानीय पटवारी अश्विनी तिवारी की टीम सक्रिय रूप से कार्यरत रही।

वर्षा न होने से आयोजन रहा निर्बाध, श्रद्धालुओं में उत्साह

श्रद्धालुओं के लिए यह सौभाग्य रहा कि श्रावण सोमवार के दिन इंद्रदेव भी प्रसन्न रहे और दिनभर वर्षा नहीं हुई, जिससे संपूर्ण धार्मिक गतिविधियां शांतिपूर्वक संपन्न हुईं। भक्तों में उल्लास, उमंग और अपार श्रद्धा देखने को मिला।

विविध राज्यों और जिलों से उमड़े भवत

अमरकंटक में श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से

नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत पुलिस उपमहानिरीक्षक, शहडोल एवं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा शासकीय पालेटेक्निक कालेज अनूपपुर में आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 15.07.2025 से 30.07.2025 तक नशा मुक्ति जनजागृति अभियान ' 'नशे से दूरी है जरूरी' ' प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को ड्रग्स के गंभीर दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है। म.प्र. पुलिस के उक्त प्रदेश स्तरीय चलाया जा रहे अभियान के अंतर्गत सोमवार की दोपहर शासकीय पालेटेक्निक कालेज, अनूपपुर में पुलिस उपमहानिरीक्षक शहडोल रंजन, शहडोल सुश्री सविता सोहाने, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान एवं एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेड़ा की उपस्थिति में टी.आई कोतवाली अरविन्द जैन एवं सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक शेख

रसीद, महेंद्र राठौर, आरक्षक संजय सिंह, कुलदीप सिंह द्वारा करीब 300 छात्र छात्राओं एवं नगर के मीडिया बन्धुओं की उपस्थिति में नशा मुक्ति हेतु जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। शासकीय पालेटेक्निक कालेज अनूपपुर के प्राचार्य राजू परस्ते एवं व्याख्यातागण राकेश पाण्डे, सामन्त वर्मा, विजयलक्ष्मी शर्मा के साथ आयोजित उक्त कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के ड्रग्स से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस उपमहानिरीक्षक शहडोल सुश्री सविता सोहाने द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया गया कि जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एन.ओ.सी. को हमेशा ना कहें। छात्र-छात्राओं इस तरह की संगति एवं दोस्ती से बचें जिनके बीच किसी प्रकार के नशे जैसे तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब या कोरेक्स जैसी नशीली



दवाओं के सेवन की शुरुआत होती है और आगे चलकर लत लग जाती है। डीआईजी सुश्री सविता सोहाने ने उपस्थित सैकड़ों छात्र छात्राओं को उनके परिवार रिस्तेदारी, मोहल्ले एवं समाज

ईमानदार परिवार को ठेकेदार के इशारे पर पुलिस की प्रताड़ना

महिला ने लगाई न्याय की गुहार, पुलिस संरक्षण में फुनगा क्षेत्र में फलता-फूलता शराब कारोबार

हरिभूमि न्यूज बटवा/जमुना।

जहां एक ओर सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और समाज से नशा उन्मूलन की बात करती है, वहीं जमीनी सच्चाई इन नारों की धज्जियां उड़ाती प्रतीत हो रही है। थाना मालूमाड़ा क्षेत्र की निवासी साधना साहू ने अपने पूरे परिवार को शराब ठेकेदारों और पुलिस की साठगांठ का शिकार बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है उन्होंने कोतमा पुलिस और आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनके पति दुर्गेश साहू, जिन्होंने शराब व्यापार छोड़ कर ईमानदारी की राह अपनाई, आज उन्हीं की ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी सजा बन गई है। पीड़िता का खुलासा ठेकेदार के इशारे पर छापे, बेइज्जती और धमकी



साधना साहू का कहना है कि कोतमा भट्टी के ठेकेदार वीरेंद्र राय के निर्देश पर उनके घर और दुकान पर बार-बार पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा छापे मारा जा रहा है। 26 जुलाई को दोपहर 1 बजे, ठेकेदार के कर्मचारी, कोतमा थाना प्रभारी

गए इतना ही नहीं, यह धमकी भी दी गई कि अगर ठेकेदार की शराब नहीं बेचोगे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। जितनी तेजी से पुलिस ईमानदार परिवार पर शिकंजा कस रही है, उतनी ही चुपची फुनगा क्षेत्र में फलते-फूलते अवैध शराब कारोबार पर है। पीडीएस गांदाम पयारी क्रमांक 1 के सामने में खुलेआम शराब बिक रही है लोगों का कहना है कि दिन के उजाले में यहां बिना डर के शराब बेची जा रही है और कोई भी गांववासी शराब विक्रेताओं के नाम और ठिकाने तक बता सकता है, लेकिन प्रशासन की आंखें मूंदे बैठी हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, फुनगा क्षेत्र में बिकने वाली अधिकतर अवैध शराब जमुना ठेका से लाई जाती है इस पूरे नेटवर्क में ठेकेदार वीरेंद्र राय के साथ-साथ जीवन शिवहरे और राहुल राय जमुना निवासी विद्या की अहम भूमिका है। प्रश्न जो अब जिला प्रशासन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं- क्या पुलिस और आबकारी विभाग ठेकेदारों के इशारे पर सिर्फ निर्दोषों को निशाना बना रही है? क्या फुनगा में चल रहा अवैध शराब कारोबार उन्हीं के संरक्षण में पनप रहा है? क्या साधना साहू जैसी महिला की इज्जत और सुरक्षा इस तंत्र के आगे बौनी पड़ गई है।

पीड़िता ने की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

साधना साहू ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाए उन्हीं ने कहा कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता, तो वे मानवधिकार आयोग और महिला आयोग तक जाने को बाध्य होंगी। यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, यह उस व्यवस्था पर सवाल है जो ईमानदारी को अपराध और अपराध को व्यापार समझ बैठी है अब देखना यह है कि प्रशासन इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है या फिर यह कहानी भी सैकड़ों अनसुनी पुकारों की तरह फाइलों में दबी रह जाएगी।

'नशे से दूरी है जरूरी'

आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र पूर्वाश अखवाल (सिविल इंजीनियरिंग), द्वितीय स्थान आकांक्षा राठौर (कम्प्यूटर साइंस), तृतीय अंजली यादव

(मैकेनिकल इंजीनियरिंग) एवं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आदित्य तोमर (सिविल इंजीनियरिंग), द्वितीय स्थान स्नेहा पनिका (कम्प्यूटर साइंस) को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी, शहडोल सुश्री सविता सोहाने द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को जीवन में कभी नशा न किए जाने हेतु शपथ दिलाई गई एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा चलाये जा रहे नशे को कहे ना हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। (नशे को कहे ना हस्ताक्षर अभियान ) के एक विशाल बैनर में डीआईजी सुश्री सविता सोहाने, एस.पी. अनूपपुर मोती उर रहमान, एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेड़ा सहित सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपने हस्ताक्षर किये। शासकीय पालेटेक्निक कालेज अनूपपुर की ओर से व्याख्याता राकेश पाण्डे द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।